(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 3/2015

बउनवान

नारायण आयु 61 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति नाथ निवासी नाथ मोहल्ला कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1– कल्लू पुत्र चतुर्भुज बैरवा निवासी गढी चौक कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ **(मृतक)**

1/1 ललित आयु 15 वर्ष पुत्र कल्लू बैरवा नाबालिग जर्येवली माता एवं संरक्षक सन्तोष पत्नि कल्लू बैरवा निवासी गढी चौक कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ

1/2 मोनू आयु 12 वर्ष पुत्र कल्लू बैरवा नाबालिग जर्येवली माता एवं संरक्षक सन्तोष पत्नि कल्लू बैरवा निवासी गढी चौक कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ

1/3 सन्तोष बाई आयु 45 वर्ष पत्नि कल्लू बैरवा निवासी गढी चौक कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ

2– कन्हैयालाल आयु 25 वर्ष पुत्र गणेशराम बैरवा निवासी अलीगंज मौहल्ला छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थिति :– 1. श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 16.12.2019

प्रार्थी द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी क्रम 1 कल्लू के नाम ग्राम कवाई तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 124/2181 रकबा 0.13 हेक्टयर भूमि का आवंटन दिनांक 21.10.1997 को दिखाया गया है। उक्त आवंटन मिलीभगत से नियमों के विरूद्व हुआ है। जिसकी अप्रसन्नता से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक [illegible] को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की मृत्यु हो जाने के कारण उसके कायम मुकामान बनाये जाकर रिकार्ड पर लिये [illegible] जर्ये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन [illegible] जिसके इस न्यायालय मे अप्राप्त होने पर प्रकरण मे प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा [illegible] आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति को ही आधार माना गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नही कर, अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया भू आवंटन अधिनियम, 1970 के अधीन अप्रार्थी क्रम 1 कल्लू के नाम ग्राम कवाई तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 124/2181 रकबा 0.13 है0 का आवंटन दिनांक 21.10.1997 को दिखाया गया है। उक्त आवंटन मिली भगत से नियमों के विरूद्व होने से प्रार्थी निम्न आधारो पर आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना करता है।

यह कि आवंटन से पूर्व आवंटन की जाने वाली भूमि का आवंटन हेतु कोई विज्ञप्ति नियमानुसार सार्वजनिक रूप से प्रसारित नही की गई और पटवारी हल्का ने मिली भगत करके गुपचुप तरीके से स्वंय ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अप्रार्थी क्रम 1 का आवेदन भरकर आवंटन करवा दिया जिसमे प्रार्थी को व अन्य योग्य व्यक्तियों को आवंटन करने का अवसर ही प्राप्त नही हुआ।

अप्रार्थी क्रम 1 आवंटन के योग्य पात्र ही नही था और न ही उक्त भूमि आवंटन योग्य थी। क्योकि पटवारी हल्का ने आवंटित भूमि खसरा नम्बर 124/2181 रकबा 0.13 है0 आराजी को रोड के पास नही होना अपनी रिपोर्ट मे दर्शाया है जबकि उक्त भूमि जहॉ होकर पॉच गॉवो का आने–जाने का आम रास्ता है के पास स्थित चली आ रही है। जो आज भी प्रार्थी व पॉच गॉवो के आने–जाने के आमरास्ते के उपयोग मे चली आ रही है। इस तथ्य को पटवारी हल्का ने छुपाकर फ्रोडलेण्टली आवंटन करवाया है।

यह कि आवंटन से पूर्व न तो नियमानुसार भू–आवंटन समिति का गठन किया गया न भू–आवंटन कमेटी के समक्ष आवेदन पेश हुआ। भू–आवंटन कमेटी ने तो पटवारी हल्का को जांच रिपोट पेश करने हेतु आदेशित भी नही किया फिर भी पटवारी हल्का ने स्वंय ही जॉच रिपोर्ट और आवेदन स्तंय ने तैयार करके प्रस्तुत कर दिया। उक्त आवंटन समिति के पूर्ण कोरम द्वारा भी नही किया गया है। इस कारण भी आवंटन विधिवत नही है और कोरम के अभाव मे किया गया आवंटन निरस्तनीय है।

यह कि आवंटित की गई भूमि का वर्तमान खसरा नम्बर 124/2181 रकबा 0.13 है0 जो सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 95 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज था, जो पॉच गॉवो के आने–जाने का आम रास्ता चला आ रहा है। जिसको सेटलमेन्ट विभाग ने मि0 नम्बर बनाकर किस्म परिवर्तन कर बन्जड दर्ज कर दिया। जिस पर अप्रार्थी क्रम 1 का कभी कब्जा काश्त एवं स्वामित्व नही रहा है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2036–2039 व 2055–2058 एवं मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रतिलिपियॉ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

यह कि खसरा नम्बर 124/2181 प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 124 रकबा 2.83 है0 के लगवा स्थित है। जिस पर प्रा[illegible]ब्जा होने से सेटलमेन्ट विभाग ने प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 124 मे [illegible] प्रार्थी के [illegible] दर्ज किया था। परन्तु बाद मे खसरा नम्बर 124 का खसरा नम्बर 124/2181 रक[illegible]0.13 है0 बनाकर बन्जड दर्ज कर दिया। जबकि गैर मुमकीन राजस्व दर्ज करना चाहिए था। जो आज भी प्रार्थी के कब्जे मे है। जो प्रार्थी की भूमि मे आने जाने व पॉच गॉवो के [illegible]ने जाने के आम रास्ते के उपयोग मे चली आ रही है। पर्चा लगान भू–प्रबन्ध विभाग की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:51 IST
Reason: SelfAttested

यह कि खसरा नम्बर 124 / 2181 रकबा 0.13 है0 बन्जड दर्ज हो जाने से गैर कानूनी रूप से कब्जा नही होते हुए भी अप्रार्थी कम 1 के अवैधानिक रूप से आवंटन कर दिया गया। जबकि अप्रार्थी कम 1 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा और न ही अप्रार्थी कम 1 का दखल दिया गया। जबकि अप्रार्थी कम 1 का उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा तो अप्रार्थी कम 1 ने अप्रार्थी कम 2 को दिनांक 5.5.2013 को बेचान कर दिया। जिसके आधार पर अप्रार्थी कम 2 ने प्रार्थी के विरूद्व धारा 183 (बी) आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार अटरू के यहॉ बेदखली का प्रार्थना पत्र जैरकार है। जिससे भी यह साबित है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नही है।

यह कि आवंटित भूमि खसरा नम्बर 124 / 2181 रकबा 0.13 है0 प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 124 रकबा 2.83 है0 के लगवा रास्ते के रूप मे स्थित है जो सेटलमेट से पूर्व गै0मु0 रास्ता दर्ज थी। जिस पर हमेशा से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। जो प्रार्थी के भूमि मे आने जाने व पॉच गॉवो के व्यक्तियों के आने–जाने के आम रास्ते के उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। जिस पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है।

यह कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी कम 1 का आज तक भी कभी कब्जा नही रहा और नियमानुसार इस भूमि पर कब्जा भी नही दिया गया यद्यपि दखलनामे का फार्म पटवारी द्वारा तैया किया गया है परन्तु उस पर न तो जॉच इन्सपेक्टर के हस्ताक्षर और न ही तहसीलदार के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त आवंटन अवैधानिक है जो मिली भगत करके करवाया गया है।

यह कि अप्रार्थी कम 2 ने प्रार्थी को खसरा नम्बर 124 / 2181 पर से बेदखल करने हेतु धारा 183 (बी) आर0टी0एक्ट का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय तहसीलदार अटरू के यहॉ पेश करने पर उसकी सूचना प्रार्थी को प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा तहसील मे जाकर मालूम करने पर व नकले प्राप्त करने पर, अप्रार्थी कम 1 के नाम हुए आवंटन की जानकारी होने पर यह आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम कवाई तहसील अटरू की भूमि खसरा नम्बर 124 / 2181 रकबा 0.13 है0 का आवंटन दिनांक 21.10.1997 को निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र संलग्न है।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी कम 1 के नाम आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 से ग्राम कवाई के खसरा नम्बर 92 की 0.50 एवं खसरा नम्बर 124 / 2181 की 0.13 कुल 0.63 हेक्टयर भूमि आवंटित की गई थी। जो भू–आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी कम 1 की पात्रता को देखते हुये पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर ही आवंटन की गई थी। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। आवंटन आदेश पर सभी आवश्यक अधिकारियो के [illegible] हो रहे है। जिसमे उक्त भूमि की किस्म भी माल I अंकित की गई है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की गई। जिसके आधार पर ही अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 से होती है। अप्रार्थी कम 1 द्वारा आवंटित भूमि मे से खसरा नम्बर 124 / 2181 रकबा 0.13 है0 भूमि अप्रार्थी कम 2 को बेचान कर दी गई। इस प्रकार अप्रार्थी कम 1 आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने के उपरान्त, आवंटन निरस्ती बाबत पेश किया गया प्रार्थना पत्र 14(4) भू आवंटन विधित संधारणीय नही होने से निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:51 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अभिभाषकगण की उभयपक्ष बहस सुनी व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को आवंटन आदेश दि. 21.10.1997 से उपरोक्त भूमि आवंटित की गई थी। जिसमे उक्त भूमि की किस्म भी माल ा अंकित की गई है। अप्रार्थी को पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद, नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नही होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थी कल्लू पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां को किया गया, आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 यथावत रखा जाता है। यदि प्रार्थी असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:51 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.01.08 15:42:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: